(२)

आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.P. Case No. 2A/2018-19

मंटु कुमार राय **बनाम** सरकार

2.7.19

प्रस्तुत वाद प्राधिकृत पदाधिकारी–सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के वाद Confiscation Case No. 12/2013 वन क्षेत्र पदाधिकारी, जामताड़ा बनाम मंटु कुमार राय एवं अन्य में दिनांक–20.01.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

वाद संक्षेप में यह है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी जामताड़ा के पत्रांक– 21 दिनांक– 11.03.2013 के प्रतिवेदन जिसके अनुसार वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अन्य वन अधिकारियों की उपस्थिति में एक मिनी ट्रक पंजीयन सं0 JH11E-1613, जिसे कि करमाटाँड़ थाना के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जाँच के लिए खड़ा किया गया था, 136 थैला Acacia aurialiformis fruits गाड़ी सहित जप्त किया गया। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में Confiscation Case No. 12/2013 दायर हुआ एवं इस वाद में दिनांक दिनांक–20.01.2018 को पारित आदेश के आलोक में गाड़ी सहित 136 थैला एकासिया फल को Confiscate किया गया।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मिनी ट्रक पंजीयन सं0 JH11E-1613, का पंजीकृत मालिक है एवं उसे वैध अनुज्ञप्ति एवं कर चलान इत्यादि है। जब गाड़ी के चालक गिरिडीह से लौट रहे थे, तो ग्राम–बोराबाद, थाना–मारगोमुण्डा, ने एक तैयब अली द्वारा जबरन सुखे फूल का 136 बोरा उसके मिनी ट्रक में चढ़ा दिया एवं इसके लिए एक चलान भी दिया। चालक इन बोरो को ढोना नहीं चाहते थे इसलिए उनके द्वारा चालान पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया गया। जब यह मिनी ट्रक करमाटँड़ पहुँचा तो कुछ ग्रामीणों द्वारा रंगदारी का मांग किया जा रहा था एवं पुलिस के द्वारा इस विषय पर हस्तक्षेप किया गया एवं मिनी ट्रक को जब्त किया गया। अपीलकर्त्ता को ट्रक में ढोये जाने वाले एकासिया फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चालान के अनुसार ट्रक में सुखा फूल होने को दर्शाता है जबकि जब्ती सूची के अनुसार एकासिया सुखा फल दर्शाता है। एकासिया सुखा फूल जंगल का वस्तु नहीं है एवं मधुपुर के जनजाति अपनी जीविका के लिए इन फूलों को एकत्र करते है। इस तरह के वन अधिनियम के अपराध के लिए जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी उचित जुर्माना लगाकर वाद को निस्तार के लिए प्राधिकृत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त ट्रक को शिवशंकार रोड वेज मधुपुर जिसका मालिक अशोक कुमार झा को सौंपा गया था। अतः इस त्रुटि के लिए अशोक कुमार झा (शिवशंकार रोड वेज मालिक) या तैयब अली (चालक) जिम्मेवार है। अपीलकर्त्ता को काई नोटिस निर्गत नहीं किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्त को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अलोकन किया। इस काण्ड के वाहन मालिक, परिवाहक एवं वितरक द्वारा एकासिया के फूल के मिनी ट्रक में ढोये जाने को स्वीकार किया जा रहा है। जबकि एकासिया फल के ढोये जाने का इनकार किया जा रहा है। लेकिन जब्ती सूची में एकासिया फल ढोये जाने का स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार वाहन मालिक, परिवाहक एवं वितरक इस काण्ड में अज्ञात होकर वाहन का उपयोग कर निर्दोष साबित होने को विफल हो रहें है। वाहन के मालिक द्वारा वाहन उपयोग करने हेतु वन अपराध को रोकने में कोई उचित एवं आवश्यक सावधानी का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन) के धारा–52 (5) के तहत् इस वाद में अपीलकर्त्ता को राहत नहीं किया जा सकता है।

अतः विज्ञ प्राधिकृत पदाधिकारी–सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के वाद Confiscation Case No. 12/2013 वन क्षेत्र पदाधिकारी, जामताड़ा बनाम मंटु कुमार राय एवं अन्य में दिनांक–24.01.2018 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है एवं उनके आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

2/7/19

उपायुक्त,
जामताड़ा।

2/7/19

उपायुक्त
जामताड़ा।

DB/74

dt-30/7/19